# महोबा पुलिस

दिनांक- 04.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 292/26

## पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 04.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 04.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 292/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल - नगर, थाना - खन्ना

# थाना खन्ना की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना खन्ना जनपद महोबा की देखरेख में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में आज दिनांक 04.07.2026 को उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह रि0का0 अनिल कुमार भारती द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त गंगाराम पुत्र स्व0 दयाशंकर, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा को सम्बन्धित क्रिमिनल केस सं0 3228/2024, मु0अ0सं0 108/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम में माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन/मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

गंगाराम पुत्र स्व0 दयाशंकर, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह
2. रि0का0 अनिल कुमार भारती

दिनांक- 04.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 293/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल - नगर, थाना - खन्ना

# थाना खन्ना पुलिस टीम की सराहनीय कार्यवाही, गुमशुदा महिला सकुशल बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे 'ऑपरेशन सर्च' के तहत थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा सराहनीय कार्यवाही करते हुए गुमशुदा/अपहृता महिला को सकुशल बरामद किया गया।

**घटना का विवरण –**

थाना खन्ना जनपद महोबा पर वादी कल्लू यादव पुत्र स्व0 बलदेव यादव निवासी ग्राम खन्ना द्वारा दिनांक 25.05.2026 को अपनी पत्नी मंजू यादव के बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में गुमशुदगी संख्या 09/2026 पंजीकृत करायी गयी थी। तत्पश्चात वादी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि भऊवा यादव पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम पलहरी थाना नरैनी जनपद बांदा द्वारा उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है तथा इस कार्य में कुछ अन्य लोगों की भी संलिप्तता/साजिश है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खन्ना पर मु0अ0सं0 60/2026 धारा 87/61(2) बीएनएस दिनांक 29.06.2026 को पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री लक्ष्मीनारायण सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

**कृत कार्यवाही का विवरण-**

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में एक पुलिस टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा गुमशुदा/अपहृता की तलाश हेतु लगातार प्रयास एवं संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी। अथक प्रयासों के फलस्वरूप दिनांक 02.07.2026 को काव्या ढाबा के पास, बहद ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा से गुमशुदा/अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

**बरामदगी-**

गुमशुदा/अपहृता मंजू यादव पत्नी कल्लू यादव निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा, उम्र लगभग 34 वर्ष। बरामदगी के उपरांत नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 निरीक्षक लक्ष्मीनारायण सिंह
2. हे0का0 प्रवीण कुमार यादव
3. म0का0 प्रियंका यादव

दिनांक- 04.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 294/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल - नगर, थाना - कोतवाली नगर

## थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा पशु क्रूरता के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा गठित टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में उ0नि0 नरेश चन्द्र निगम चौकी प्रभारी बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा अभियुक्त महेश वर्मा पुत्र बालकिशन निवासी मानकी थाना महोबकंठ जनपद महोबा, हाल पता यशोदा नगर थाना कोतवाली नगर महोबा, उम्र करीब 38 वर्ष को सम्बन्धित मु0अ0सं0 305/26 धारा 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम व 5ख गोवध निवारण अधिनियम में आज दिनांक 04.07.2026 को पालीटेक्निक के पीछे रोड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- महेश वर्मा पुत्र बालकिशन, निवासी मानकी थाना महोबकंठ जनपद महोबा, हाल पता यशोदा नगर थाना कोतवाली नगर महोबा, उम्र करीब 38 वर्ष

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नरेश चन्द्र निगम, चौकी प्रभारी बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा